निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

संख्या : 1140/पं0– 3/EoI/2023–24 : दिनांक 11 सितम्बर, 2023

Corrigendum

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षणों के आयोजनार्थ गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं के राज्य स्तर पर सूचीबद्धीकरण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षणों के आयोजनार्थ गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं के राज्य स्तर पर सूचीबद्धीकरण हेतु निदेशालय के पत्र संख्या– 1301/530/पं0–3/ D-1/X-29/ EoI/2023-24 दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधन संख्या– 1368/पं0–3/EoI/2023–24 : दिनांक 29 अगस्त, 2023 के क्रम में निम्न प्रकार संशोधन जारी किया जाता है :

1. प्रस्ताव दिनांक 13 सितम्बर, 2023 की अपरान्ह 5:00 बजे तक निदेशालय में पंजीकृत डाक/ व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते हैं।
2. भाग क: नियम व शर्तें का बिन्दु 6 निम्न प्रकार पढ़ा जाये :

आवेदक गैर सरकारी संगठन/संस्था (Consortium की स्थिति में संगठन के सभी गैर सरकारी संगठन/संस्थाऐं) विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत हों अथवा उसे उत्तराखण्ड में क्षमता विकास सम्बन्धी सेवाऐं प्रदान करने का न्यूनतम 04 वर्षों का अनुभव हो तथा उसका उत्तराखण्ड में अपना प्रशासनिक कार्यालय एवं स्टाफ हो।

ह0/–

उप निदेशक,

पंचायतीराज विभाग